BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 109 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Akash Dubey **...Applicant**

VERSUS

Union of India & Ors. **... Respondents**

AND

OBJECTION ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 10 (M/S RUDRA MINING AND COMPANY) IN THE O.A. NO. 109 OF 2024

COVER – PAGE

(FOR DETAILED INDEX KINDLY SEE INSIDE)

ADVOCATE FOR THE RESPONDENT NO. 10: AYUSH MISHRA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 109 OF 2024

<u>IN THE MATTER OF:</u>

Akash Dubey **...Applicant**

VERSUS

Union of India & Ors. **... Respondents**

<u>INDEX</u>

S. No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	OBJECTION ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 10 (M/S RUDRA MINING AND COMPANY) IN THE O.A. NO. 109 OF 2024 ALONG WITH SUPPORTING AFIDAVIT	**1-20**
2.	**<u>ANNEXURE-1</u>** A True Copy of the Letter of Intent dated 16.02.2023 issued in favour of the Respondent No. 10 by the District Magistrate, Sonbhadra	**21-24**
3.	**<u>ANNEXURE-2</u>** A True Copy of the Tender Advertisement Dated 1511.2022 issued by the District Magistrate Sonebhadra	**25-33**
4.	**<u>ANNEXURE-3</u>** A True Copy of the Report dated 02.03.2024 of the Mining Officer of District Sonebhadra	**34-36**
5.	**<u>ANNEXURE-4</u>** A True Copy of the Photographs of the subject mine area (along with videos sent via email to this Hon'ble Tribunal)	**37-63**

Through:

[AYUSH MISHRA]
COUNSEL FOR THE RESPONDENT NO. 10

Date: 01.04.2024

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 109 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Akash Dubey **...Applicant**

VERSUS

Union of India & Ors. **... Respondents**

AND

OBJECTION ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 10 (M/S RUDRA MINING AND COMPANY) IN THE O.A. NO. 109 OF 2024

TO,

THE HON'BLE CHAIRMAN AND HIS OTHER COMPANION MEMBERS OF THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

A HUMBLE REPLY TO THE LETTER PETITION (REGISTERED & TREATED AS ORIGINAL APPLICATION) SUBMITTED BY THE RESPONDENT ABOVE-NAMED:

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That M/s Rudra Mining and Company i.e. Respondent No. 10 in the present matter, (hereinafter referred to as the **"Present Respondent"**) has been issued Letter of Intent dated 16/02/2023 by the District Magistrate, Sonbhadra for excavation of mineable minerals (Sand extraction) at Arazi No. 15 Cha, Khand No. 02, Village Bhagwa,

Tehsil Obra, District Sonbhadra, Uttar Pradesh (hereinafter referred to as" **Subject Mine"**). A True Copy of the Letter of Intent dated 16.02.2023 issued in favour of the Respondent No. 10 by the District Magistrate, Sonbhadra is annexed herewith and marked as **ANNEXURE -1** to this objection.

2. That the present O.A. No. 109 of 2024 has been registered on the Application filed by one Shri Akash Dubey. The OA has been registered in connection to the averments of absence of regulatory mechanism to decide the complaint of the Applicant which was filed before the other Respondents.

3. That it is submitted that the main prayer of the Applicant is limited to seeking directions to SEIAA UP to decide the complaint of the Applicant and no adjudication on the merit of the matter has been sought by the Applicant.

4. That vide Order dated 29.01.2024, this Hon'ble Tribunal issued notice in the matter.

PRELIMINARY SUBMISSIONS AND OBJECTIONS:

5. That the present O.A. has been filed in the most malicious, dubious and unlawful manner. The present OA is nothing but a proxy Petition filed only to delay the grant of EC to the present Respondent. Notably, no Identification card of the Applicant has been appended to the OA

and the Address of the Applicant mentioned on the Affidavit is neither correct nor specific and is merely a mention of a village.

6. That the issue involved herein is whether there is morrum available in Arazi No. 15 Cha, Khand No. 02, Village Bhagwa, Tehsil Obra in District Sonbhadra, whereas the Applicant is neither a resident of District Sonebhadra nor is working there. The Applicant, according to the OA itself, is situated in Allahabad and is raising issues of specific facts of existence of morrum in the District Sonebhadra.

7. That the suspicious and questionable nature of the present OA is also evident from the fact that the Applicant is situated in Allahabad, the issue at hand is of District Sonebhadra and the Affidavit in the matter has been notarized in District Mirzapur. It is submitted that the credentials and motivation of the Applicant is seriously questionable in nature and only amounts to abuse of the process of law to seek personal gains.

8. That the entire controversy regarding existence of morrum in the subject mine can be resolved via revelation of a fact that has been deliberately concealed in the OA. Notably, the patta immediately adjacent to the subject mine in question (which shares the exact same land and the exact same resources) is being mined for almost 3 years. It is unfathomable to contend that two small pieces of land which are immediately adjacent to each other and which share the land and

resources are so different in nature that on one there is enough morrum that it is being mined for past many years and on the other there is no existence of morrum at all.

9. That the present OA has been filed with malicious motivations and is a proxy petition on behalf of the project proponents who are engaged in the mining in the adjacent/adjoining areas so as to hinder the process of grant of EC to the present Respondent so that the present respondent may be unlawfully restrained from mining in the area and thus the effective cartel of the proponents mining in the area may continue without any competition.

10. That the allegation on the present Respondent that there is no morrum on the subject mine but the present respondent has declared that there is mineable minerals available. It is submitted that this allegation is completely unfounded as it was never the present respondent who selected the site for mining.

11. That on the contrary, on 15.11.2022, a tender advertisement was issued by the District Magistrate Sonebhadra calling bids for mining in the specific area of Arazi No. 15 Cha, Khand No. 02, Village Bhagwa, Tehsil Obra, District Sonbhadra, Uttar Pradesh.

12. That thus, it is the District Administration which called the tender for mining in the subject mine area, which would not have been the case had there been no morrum in the subject area to mine in the first place.

13. That multiple bids were submitted and ultimately the tender of the present respondent was accepted after following the due process of law. Additionally, there was even a public hearing process involved in awarding the tender for mining and notably so such objection regarding the non-existence of morrum was raised therein by either any present person or the Applicant.

14. That the Joint Committee which has been formed has submitted its report. Notably, the Mining Officer of District Sonebhadra who was a member of the 3 member joint committee has submitted its report dated 02.03.2024 stating that the land in question belongs to the State Government and that the area in question in situated on the right side of the downstream of the Sone River on which the morrum brought by the river as a result of hill erosion is deposited in abundance. Thus, there it is submitted that there is the presence of minable mineral in the subject area for mining and the allegation of the Applicant that there is no morrum in the area is unfounded and misconceived.

15. That thus the entire basis of filing the complaint and the consequent OA by the Applicant is not only unfounded and non-existent but also motivated and aimed at using the process of law for personal gains and illegitimate harm to the present Respondent.

16. That a brief background culminating from the present case are prescribed hereinbelow:

BRIEF BACKGROUND OF THE PRESENT MATTER

1. That the tender advertisement for inviting bids for the mining of the subject mine areas was issued by the District Magistrate Sonebhadra on 15.11.2022 which specifically called bids for mining in the specific area of Arazi No. 15 Cha, Khand No. 02, Village Bhagwa, Tehsil Obra, District Sonbhadra, Uttar Pradesh. A True Copy of the Tender Advertisement Dated 1511.2022 issued by the District Magistrate Sonebhadra is annexed herewith and marked as **ANNEXURE – 2** to this Reply to OA.

2. That notably, multiple bids were submitted to the District Administration and ultimately the tender of the present respondent was accepted after following the due process of law. Additionally, there was even a public hearing process involved in awarding the tender for mining and notably so such objection regarding the non-existence of morrum was raised therein by either any present person or the Applicant.

3. That a Letter of Intent dated 16/02/2023 was issued by the District Magistrate, Sonbhadra in favour of the Present Respondent (i.e. Respondent No. 10 in O.A. No. 109/2024) for excavation of mineable minerals (Sand extraction) at Arazi No. 15 Cha, Khand No. 02, Village Bhagwa, Tehsil Obra, District Sonbhadra, Uttar Pradesh.

Also, the relevant No Dues Certificate by the forest department was also given to the present Respondent.

4. That the present Respondent applied for securing Environmental Clearance to begin the Mining in the subject mine.

5. That the Complaint dated 11.10.20203 was filed by the Applicant and the process of grant of EC was unlawfully jeopardized by the Applicant. Subsequently, the present OA was filed by the Applicant with the similar intent of hampering the process of grant of EC to the present Respondent so that the illegitimate cartel of mining in the subject area may continue without any competition.

REPLY ON MERITS TO THE O.A. NO. 109 of 2024 FILED BY THE APPLICANT:

I. That it is the District Administration which called tender for mining in the subject mine area, which would not have been the case had there been no morrum in the subject area to mine in the first place.

II. That axiomatically, it is established that the site which is under dispute for allegedly not having morrum was selected for mining not by the present Respondent but by the District Administration Sonebhadra and the tender advertisement was issued after careful examination of the prospect of mining in the subject mine area.

III. That thus the allegation upon the present Respondent that the present Respondent has forged information about the site in question regarding the site having morrum is colossally unfounded and baseless as it was only due to the existence of the morrum in the site that the District Administration invited tenders for its mining

IV. That the Joint Committee which has been formed has submitted its report. Notably, the Mining Officer of District Sonebhadra who was a member of the 3 member joint committee has submitted its report dated 02.03.2024 stating that the land in question belongs to the State Government and that the area in question in situated on the right side of the downstream of the Sone River on which the morrum brought by the river as a result of hill erosion is deposited in abundance. Thus, there it is submitted that there is the presence of minable mineral in the subject area for mining and the allegation of the Applicant that there is no morrum in the area is unfounded and misconceived. A True Copy of the Report dated 02.03.2024 of the Mining Officer of District Sonebhadra is annexed herewith and marked as **ANNEXURE –3** to his Reply to OA.

V. That the other two members i.e. one Professor and one Officer of the Pollution Control Board have submitted an undated report submitting that there is low possibility of occurrence of mineral deposit in the said area.

VI. That the Report submitted by the other two members are neither factually correct nor based on scientific temperament and empirical/technological methodology that is a pre-requisite for an inspection report. Notably, the following objections are taken, *inter alia*, to the inspection report by other two members, without prejudice to and notwithstanding the fact that the scope of the present OA is limited to only seeking directions for deciding the complaint of the Applicant:

1) That the constitution of the joint committee report is itself flawed and skewed as the matter involves a delicate query as to whether there exists mineable mineral or not in the subject mine area. Thus, it is submitted that a Professor and an Officer of the Pollution Board have neither the technical understanding nor the practical subject competence to return finding on the above-mentioned delicate finding.

2) That since the question involved is of mining, it is only the finding of the Mining officer who has the relevant expertise and competence to return a finding on this query. Thus, the finding of the Mining Officer of Sonebhadra should be relied upon rather than the findings of a professor or an officer from pollution department.

3) That it is not the Mining officer who are submitted a contrary report but in fact it is the involved professor and pollution officer who have been pressurized to submit report contrary to the facts of the matter.
4) That the finding returned by the two members is absolutely baseless as the same has been based on merely visual inspection whereas the delicate nature of the mater required a technical and geological evaluation from a scientific standpoint to ascertain whether there is presence of minable mineral. The two members have not conducted any laboratory test to conclude that there is no mineable mineral in the subject site but have based their entire reasoning on a visual inspection, which is not proper in law.
5) That since there has been no mining in the subject land for the last 20 years, it is natural and obvious that some layers of sand have deposited over the minerals and some minor shrubs have grown on the land. It is submitted that this is an extremely normal phenomenon for areas with mineable mineral which are not mined for long periods of time.
6) That the photographs appended by the two member report are not accurate and contrary to facts. Notably, it is stated in the report that the inspection was done on 15.12.2023. However,

it must be noted that the Photographs appended have the geo tag date of 16.12.2023 on which date no inspection was carried out.

7) That the photograph which is relied upon to show that there is vegetation on the said land does not even have a geo tag and is the only photograph without it. It is submitted that the same is a deliberate attempt to falsely portray that there exists vegetation on the subject mine land.

8) That the present respondent is humbly submitting actual photographs of the subject mine area with geo tags and recent date to show that there is splendid availability of sand for excavation and that there is no vegetation to prevent the same and that there is no existence of any water body in the subject land. A True Copy of the Photographs of the subject mine area are annexed herewith and marked as **ANNEXURE -4** to the Reply. Additionally, the present respondent is also humbly supplying videos of the said area vide email to this Hon'ble Tribunal for better adjudication of the matter and for showing the actual status on ground before this Hon'ble Tribunal

9) That the two member report has no scientific or technological basis to submit that there is no availability of minable mineral. At Point No. 3 it is conceded in the report itself that *"no*

*mineable mineral was observed at the time of **physical inspection***". It is humbly submitted that by no means can anybody tell by a visual and physical inspection of any land whether the same is having minable mineral or not.

10) That no digging was done in the inspection to see even marginally under the surface.

11) That no soil inspection was conducted to evaluate the contents of mineral in the land.

12) The contents and method of the report are inaccurate and wrong on facts.

VII. That the present O.A. has been filed in the most malicious, dubious and unlawful manner. The present OA is nothing but a proxy Petition filed only to delay the grant of EC to the present Respondent. Notably, no Identification card of the Applicant has been appended to the OA and the Address of the Applicant mentioned on the Affidavit is neither correct nor specific and is merely a mention of a village.

VIII. That the issue involved herein is whether there is morrum available in Arazi No. 15 Cha, Khand No. 02, Village Bhagwa, Tehsil Obra in District Sonbhadra, whereas the Applicant is neither a resident of District Sonebhadra nor is working there. The Applicant, according to

the OA itself, is situated in Allahabad and is raising issues of specific facts of existence of morrum in the District Sonebhadra.

IX. That the suspicious and questionable nature of the present OA is also evident from the fact that the Applicant is situated in Allahabad, the issue at hand is of District Sonebhadra and the Affidavit in the matter has been notarized in District Mirzapur. It is submitted that the credentials and motivation of the Applicant is seriously questionable in nature and only amounts to abuse of the process of law to seek personal gains.

X. That the entire controversy regarding existence of morrum in the subject mine can be resolved via revelation of a fact that has been deliberately concealed in the OA. Notably, the patta immediately adjacent to the subject mine in question (which shares the exact same land and the exact same resources) is being mined for several years. It is unfathomable to contend that two small pieces of land which are immediately adjacent to each other and which share the land and resources are so different in nature that on one there is enough morrum that it is being mined for past many years and on the other there is no existence of morrum at all.

XI. That the present OA has been filed with malicious motivations and is a proxy petition on behalf of the project proponents who are engaged in the mining in the adjacent/adjoining areas so as to hinder the

process of grant of EC to the present Respondent so that the present respondent may be unlawfully restrained from mining in the area and thus the effective cartel of the proponents mining in the area may continue without any competition.

XII. That the allegation on the present Respondent that there is no morrum on the subject mine but the present respondent has declared that there is mineable minerals available. It is submitted that this allegation is completely unfounded as it was never the present respondent who selected the site for mining.

XIII. That the present respondent has committed no forgery in submitting its Form-I and hat any allegation to the contrary is completely misconceived and unfounded.

XIV. That the contents of the OA are erroneous, factually incorrect and amounts to abuse of process of law for personal gains under the garb of protecting the environment. Notably, the Applicant has stated himself to be an environmental activist but even a bare browsing of the records of Hon'ble NGT available on the website reveal that no other OA has ever been filed by the Applicant. It is reiterated that this is a proxy Application being filed through a smokescreen person (if at all the Applicant is an existent person) for personal gains of certain mine owners in the area of Sonebhadra and for settling their personal scores.

XV. That a proper scientific and geological inspection of the area is necessary, as has been indicated in the letter dated 05.03.2024 filed by the UPPCB before this Hon'ble Tribunal

XVI. That the committee which is to conduct the geological survey must be competent in this filed to do the analysis and submit a report as opposed to the present committee where only the Mining Officer was competent to return a finding on the issue.

XVII. That an hefty amount has been paid by the present Respondent to the State Government as Royalty and hampering the EC process of the present respondent is not only against the interest of the present respondent but also against the interest of the Government Exchequer.

XVIII. That since the prayer of the Applicant is that their complaint against the present Respondent may be decided, it is submitted that this Hon'ble tribunal may kindly be pleased to direct the Respondent Authorities to also give an opportunity of hearing to he present respondent before deciding the complaint since the complaint is directly against the present Respondent and affects its rights directly.

XIX. That the tender process was conducted under the direct aegis of the District Magistrate of Sonebhadra. Moreover, the tender involved herein was an e-tender, the conditions of which were duly complied with by the present Respondent and only then, i.e. after following the

due process of law and procedure of tender allocation was the LoI issued to the present Respondent.

XX. That the allegations raised in the OA against the present Respondent are unfounded and misconceived and as such liable to be set aside.

XXI. That it is reiterated at the cost of repetition that the present Respondent has committed no act of forgery and that all information furnished by the present Respondent in their Form -I is correct and can be verified by adopting a scientific approach by a competent agency/committee.

XXII. Therefore, in the light of the aforesaid facts and circumstances, the Present Respondent seeks appropriate order(s) and/or direction(s) to set aside the allegations raised against the Respondent No. 10 in the O.A. filed by the Applicant, namely Shri Akash Dubey in connection to the averments of non-deciding of his complaint by the respondent Authorities.

XXIII. That the facts stated above are true and correct to the best of my knowledge and belief as based on records of the present case.

XXIV. That the Present Respondent further craves leave of this Hon'ble Tribunal to file additional documents or add/amend/substitute its submissions and averments as and when it is directed by this Hon'ble Tribunal or it is necessary for proper adjudication of the matter.

PRAYER

In view of the foregoing facts, circumstances and subsequent developments, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may be graciously pleased to:

(a) Pass appropriate order(s) and/or direction(s) to Dismiss the O.A. filed by the Applicant with costs and direct the Respondents to expedite the process of grant of EC to the present Respondent.;

(b) Pass appropriate order(s) and/or direction(s) to set aside the allegations raised against the Respondent No. 10 in the O.A. No. 109 of 2024;

(c) Pass appropriate order(s) and/or direction(s) to the Applicant not to create any hindrance or obstruction in the operations of the present Respondent.

(d) Pass appropriate order(s) and/or direction(s) to the State Government to facilitate the Present Respondent in obtaining all or any of the requisite and necessary permissions, clearances from the concerned statutory authorities;

(e) And pass any other appropriate order(s)/direction(s) as this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

AND FOR THIS ACT OF KINDNESS, THE RESPONDENT NO. 40 AS IN DUTY BOUND SHALL FOREVER PRAY.

Through:

[AYUSH MISHRA]

COUNSEL FOR THE RESPONDENT NO. 10
Office: 78A/3B, Muir Road, Ashok Nagar,
Allahabad (Prayagraj) – 211001
Ph#: 9515339706
Email: office.ayushmishra@gmail.com

DATE: 01.04.2024

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPLE BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 109 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Akash Dubey ... Petitioner

Versus

Union of India & Ors. ... Respondents

AFFIDAVIT

I, Dhirendra Kumar Singh , S/o Shri C.P. Singh , aged about 41 years , R/o Ward No. 20, Shastrinagar Robertsganj, Sonbhadra, Utar Pradesh - 231216, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I am a Partner in the Respondent No. 10 Partnership firm (i.e. M/s Rudra Mining and Company (Respondent No. 10) in the O.A. No. 109 of 2024) in the aforesaid matter and as such am well conversant with the facts and circumstances of the case and competent to swear this Affidavit.

2. That I have read and understood the contents of the accompanying Reply to the Original Application and affirm that the same are true and correct to the best of my knowledge and belief, and that no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

3. That the Annexures **1** to **4**, annexed to the Reply are True Copies of their respective originals.

NOTARY
Ranjeet Singh
Tehsil Robertsganj
Distt. Sonbhadra
GOVT. OF U.P. (INDIA)

Dhirendra ku Singh

DEPONENT

VERIFICATION

1230

Verified at ______________ on this ______________ that the contents of the abovementioned affidavit are true and correct to the best of my knowledge, belief and ability, and no part of it is false and that nothing material has been concerned therefrom.

Dhirendra Kumar Singh
am identified by shri S.K. Pandey
Appeared before me on 30.3.24
at .... am/pm and certified that he understands the facts mentioned in the affidavit/Declaration, Which are true, And I administered oath to him

Ranjeet Singh
Notary

DEPONENT

Dhirendra Kr. Singh

Rs. 10/- Stamps Attached

INDIA NON JUDICIAL

IN-UP10503972700029W

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP10503972700029W
Certificate Issued Date	:	30-Mar-2024 11:12 AM
Account Reference	:	IMPACC (SH)/ upshimp17/ ROBERTSGANJ/ UP-SNB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHIMP1717115375511996W
Purchased by	:	DHIRENDRA KUMAR SINGH SON OF C P SINGH
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	DHIRENDRA KUMAR SINGH SON OF C P SINGH
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	DHIRENDRA KUMAR SINGH SON OF C P SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

Please write or type below

........2 Ticket Rs. 10.00

Ranjeet Singh
Notary - Sonebhadra

NOTARIAL NOTARIAL

NOTARY Ranjeet Singh Tahsil Robertsganj Distt. Sonebhadra GOVT. OF U.P. (INDIA)

30-3-24

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE -1

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 4026/खनिज/2023 दिनांक 16/02/2023

मे0 रूद्र माइनिंग एण्ड कम्पनी
पता ग्राम–देवगढ़ पोस्ट–शिवद्वार, घोरावल,
द्वारा–श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र राम प्रताप सिंह
निवासी देवगढ़, शिवद्वार, पोस्ट–घोरावल,
जनपद–सोनभद्र।
मोबाइल नं0–9839626500
ई0मेल आई0डी0 rudraminingsbr@gmail.com

आशय–पत्र
(Letter of Intent)

उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम–23(1) के प्राविधानों के अधीन ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–2588/खनिज/विज्ञप्ति–मोरम/2022 दिनांक 05.11.2022 के द्वारा रिक्त घोषित करते हुये इच्छुक एवं अर्ह व्यक्तियों से निविदा सह बोली आमंत्रित की गयी थी।

2– उक्त क्रम में जनपद–सोनभद्र की तहसील–ओबरा के ग्राम–भगवां की आराजी संख्या–15च में स्थित क्षेत्र रकबा–12.146 हेक्टेयर (खण्ड–2) में उपलब्ध वार्षिक आंकलित मात्रा 2,18,628 घन मीटर मौरम के लिये सेवा प्रदाता एजेन्सी (एम0एस0टी0सी0) के माध्यम से आपने रु0 510/– (रुपये पांच सौ दस मात्र) प्रति घन मीटर की बोली विज्ञप्ति दिनांक 05.11.2022 में उल्लिखित शर्तों के अधीन दी है।

3– अतः आपके द्वारा दी गयी बोली सर्वोच्च एवं सन्तोषजनक पाये जाने पर निम्न शर्तों के अधीन एतद्द्वारा औपबन्धिक रुप से उसे स्वीकार की जाती है:–

शर्तें:–

1. विषयगत क्षेत्र में उपलब्ध वार्षिक आंकलित मात्रा 2,18,628 घन मीटर मौरम के लिये रु0 510/– (रुपये पांच सौ दस) मात्र प्रति घन मीटर की दर के अनुसार प्रथम वर्ष के लिये वार्षिक पट्टा धनराशि रु0 11,15,00,280/– (रूपये ग्यारह करोड़ पन्द्रह लाख दो सौ अस्सी) मात्र आगणित होती है, अतएव उक्त धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि रु0 2,78,75,070/– (रूपये दो करोड़ अठ्ठतर लाख पचहत्तर हजार सत्तर) मात्र प्रतिभूति के मद में एवं 20 प्रतिशत धनराशि रु0 2,23,00,056/– (रूपये दो करोड़ तेइस लाख छप्पन) मात्र प्रथम किश्त के मद में आपको इस आशय–पत्र के निर्गमन के दिनांक से, दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा करने होगें। बयाने के रूप में जमा धनराशि (अर्नेस्टमनी) प्रतिभूति के मद में जमा होने वाली धनराशि में समायोजित होगी। आशय–पत्र जारी करने के दो कार्य दिवसों के अन्दर नियत धनराशि इस कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है अन्यथा यदि आप धनराशि जमा करने में विफल रहते हैं, तब आपके द्वारा अर्नेस्टमनी के मद मे जमा की गयी धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी तथा इस सम्बन्ध मे आप द्वारा कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तब वे विचारणीय नही होगें।

2. मौरम का खनन पट्टा पाँच वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किया जायेगा। प्रथम वर्ष हेतु देय धनराशि रु0 11,15,00,280/– (रूपये ग्यारह करोड़ पन्द्रह लाख दो सौ अस्सी) मात्र पर अनुवर्ती वर्षों में वार्षिक पट्टा धनराशि 10 प्रतिशत की उत्तोत्तर वृद्धि सहित देय होगी।

3. प्रथम वर्ष के लिये अवशेष पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षों के लिए निर्धारित पट्टा धनराशि उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 में नियत समयानुसार राज्य सरकार को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भुगतान की जायेगी। देय किश्त की धनराशि जमा न करने की दशा मे नियमावली, 2021 के नियम–59 के अनुसार देय धनराशि, नियमानुसार ब्याज सहित वसूल की जायेगी।

4. आशय–पत्र (Letter of Intent) निर्गत होने के एक माह के अन्दर, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ के समक्ष खनन योजना, खान बन्दी योजना सहित अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के एक माह के अन्दर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियमावली, 2021 के नियम 60(1) के प्राविधानों के अर्न्तगत रु0 10,000/– प्रति दिन की दर से शास्ति देय होगी।

5. उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम–17 के प्राविधानों के अनुसार पट्टेदार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा तथा नियम–36 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा एवं उनका अनुरक्षण करने हेतु सदैव उत्तरदायी होगा।

6. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन कराकर खनन संक्रिया तत्काल आरम्भ की जायेगी।

7. नियमावली, 2021 के नियम 35(4) के अर्न्तगत पर्यावरण की स्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान अपेक्षित समयावधि मे, सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का परियोजना प्रस्तावक द्वारा समाधान किया जाना अनिवार्य होगा। नियम 35(4) के उल्लंघन की दशा में जिलाधिकारी नियमावली, 2021 के नियम 60(7) के अर्न्तगत जारी आशय–पत्र (Letter of Intent) निरस्त कर सकेगें।

8. नियमावली, 2021 के नियम–35 के अनुसार क्षेत्र मे भूमि उद्धार एवं पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा कराये जाने हेतु पट्टेदार उत्तरदायी होगा।

9. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय पर निर्धारित कर व शुल्क यथा आयकर रायल्टी का 2.00% टी0सी0एस0(वर्तमान दर) एवं जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास, सोनभद्र में उपादान के रुप मे रायल्टी की 10% धनराशि तथा शक्तिनगर विशेष प्राधिकरण, सोनभद्र (साडा) सम्बन्धित उपकर आदि नियमानुसार पट्टेदार जमा करायेंगे।

10. पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का कॉर्डिनेट्स पट्टेदार अंकित करायेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व में अपने स्वयं के व्यय पर पट्टेदार ऐसे सीमा चिन्ह के खम्भे लागायेगा, जो पट्टा विलेख से संलग्न मानचित्र मे दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने हेतु आवश्यक होंगे।

11. पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से यथाशीघ्र खनन संक्रियायें पट्टेदार आरम्भ करेगें और तत्पश्चात जान–बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भाँति करेगें।

12. पट्टेदार नियम–36 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व उनकी निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकॉर्डिंग के योग्य चार आई0वी0आर0 सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाये जाने सहित चैक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगें। पट्टेदार उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एम0 आइ0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उप खनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई0–प्रपत्र एम0एम0–11 पर अंकित क्यू0आर0 कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रुप से रख–रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रुप से अनुरक्षित रखेगा। पट्टेदार उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एम0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकॉर्डिंग को कम से कम तीस दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम–67 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकॉर्डिंग मांगे जाने पर रिकॉर्ड को उन्हें उपलब्ध करायेगें।

13. पट्टेदार प्रत्येक वाहन को ई0–एम0एम0–11 सही विवरण सहित जारी करेगें। प्रत्येक वाहन को निर्गत ई0–एम0एम0–11 जनित क्यू0आर0कोड को चैक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए पट्टेदार आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा मे नियमावली, 2021 के नियम–60 के अन्तर्गत वह शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा।

14. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांकः 05.09.2018 के अनुपालन मे पट्टेदार द्वारा खदान के निकासी स्थल पर तौल मशीन लगवा कर निदेशालय मे स्थापित कमाण्ड सेन्टर में प्रयुक्त आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स युक्त सॉफ्टवेयर मे इन्टीग्रेट कराया जायेगा। इन्टीग्रेट मे स्थित तौल मशीन मे निम्न Features का होना आवश्यक हैः–

(1) The Weight bridge device should use the MQTT protocol to transmit data.
(2) The Weight bridge device should transmit data over the internet to IOT infrastructure in cloud.

15. खनन क्षेत्र में तीन मीटर की गहराई अथवा जल स्तर, मे से जो कम हो, से अधिक गहराई मे खनन संक्रियायें पट्टेदार द्वारा नही की जायेगी।

16. जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन कार्य पट्टेदार द्वारा नहीं किया जायेगा।

17. नदी की जल धारा में संक्शन लिफ्टर मशीन द्वारा खनन कार्य नही किया जायेगा।

18. स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ अभिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहाँ पर खनिजों का विक्रय मूल्य पट्टेदार द्वारा प्रदर्शित किया जायेगा।

19. यदि पट्टेदार द्वारा नियमों व खनन पट्टा के पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो पट्टेदार को अपना पक्ष रखने की युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।

20. उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम–68 के अधीन भूमि के स्वामियों को प्रतिकर पाने का अधिकार होगा, जो भू–स्वामियों एवं पट्टेधारक के मध्य तय होगा।

21. नियमों एवं शर्तो के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप यदि कोई वाद अथवा आपराधिक प्रक्रिया योजित होती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।

22. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों मे कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है, तो वह पट्टेदार को मान्य होगा।

23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन हेतु विधितः बाध्य होगा।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ से अनुमोदित खनन योजना एवं सक्षम प्राधिकारी से निर्गत पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, जिससे खनन पट्टे की स्वीकृति एवं खनन पट्टाविलेख के निष्पादन की कार्यवाही पूर्ण हो सके।

जिलाधिकारी,
सोनभद्र

पत्रांक व तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा, सोनभद्र।
4. पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
6. उप जिलाधिकारी, ओबरा, सोनभद्र।
7. शाखा प्रबन्धक, एम0एस0टी0सी0 लिमिटेड, लखनऊ।

जिलाधिकारी,
सोनभद्र

ANNEXURE -2

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 2588/खनिज/विज्ञप्ति–मोरम/2022 दिनांकः 05/11/2022

ई–निविदा सह ई–नीलामी आमन्त्रण हेतु सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद–सोनभद्र में नदी तल में उपलब्ध मोरम के निम्नलिखित खनन क्षेत्र को उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम–23(1) के अधीन ई–निविदा सह–ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नवत् घोषित किया जाता है:–

क्षेत्र का विवरण :–

क्र0 सं0	उपखनिज का नाम	नदी का नाम	क्षेत्र का विवरण				जियो को–आर्डिनेटस		नियमावली 2021 के अनुसूची–1 के अनुसार रायल्टी दर (रू0 प्रति घनमीटर)	खनन योग्य आकलित उप खनिज का भण्डार (घनमी0 प्रतिवर्ष)	प्रथम वर्ष में आकलित भण्डार की कुल रायल्टी रुपयों में (कालम–11 में अंकित घनमी0 प्रतिवर्ष को कालम–10 में अंकित रायल्टी की दर से गुणा करने पर उपलब्ध सकल धनराशि) (रूपये में)	अर्नेस्टमनी (कालम 12 में अंकित सकल धनराशि का 25 प्रतिशत) (रूपये में)
			तहसील	ग्राम	गाटा सं0/ खण्ड सं0/ जोन सं0	क्षेत्रफल (हे0 में)	Latitude	Longitude				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	मोरम	सोन	ओबरा	भगवां	15च (खण्ड–2)	12.146	A-24°31'56.51"N B-24°32'02.93"N C-24°31'53.16"N D-24°31'48.53"N	82°59'15.58"E 82°59'27.23"E 82°59'34.37"E 82°59'23.81"E	150/–	2,18,628	3,27,94,200/–	81,98,550/–

2. ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली द्वारा नदी तल में स्थित क्षेत्रों पर उपलब्ध उप खनिजों के खनन पट्टे, 05 वर्ष की निश्चित अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। खनन पट्टे की अवधि की गणना खनन पट्टा विलेख के निष्पादन की तिथि से की जायेगी।

3. ई–निविदा सह–ई–नीलामी की बिड/बोली उप खनिज की प्रति घनमीटर के लिए दी जायेगी, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के अनुसूची–1 में निर्धारित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी। इससे भिन्न बिड/बोली दिये जाने पर बिड/बोली स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्री बिड अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी। प्राप्त उच्चतम बिड/बोली की दर (रूपया प्रति घन मीटर) को क्षेत्र में आंकलित मात्रा (घन मीटर) से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की देय धनराशि आगणित की जायेगी,

4. ई–निविदा सह ई नीलामी दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में ई निविदा सम्पन्न की जायेगी जिसके दौरान सभी बिडर्स को एक बार ई–निविदा (e-tender) देने का मौका प्राप्त होगा जो पुनरीक्षित (Revise) नहीं किया जा सकेगा। ई–निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा को आधार मूल्य (Floor Price) मानते हुए द्वितीय चरण में ई–नीलामी करायी जायेगी, जिसके दौरान बिडर्स ई–नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि में ई–बिड दे सकता है। ई–नीलामी के दौरान केवल उच्चतम बोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा जिसको देखते हुए बिडर अपनी बिड पुनरीक्षित कर बढ़ा सकते है।

5. किसी क्षेत्र के ई–निविदा सह ई–नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा जिसकी गणना क्षेत्र में वार्षिक आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उप खनिज की रायल्टी की दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि की 25 प्रतिशत होगी।

6. एम0एस0टी0सी0 लि0 (भारत सरकार का उपकम) को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार की ओर से ई–निविदा सह ई–नीलामी नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। ई–निविदा सह ई–नीलामी द्वारा परिहार पर देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल www.mstcecommerce.com पर की जायेगी।

7. इच्छुक आवेदको के लिए ऑन लाईन बिड/बोली हेतु Class-III Signing type डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। एम0एस0टी0सी0 के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर अर्ह आवेदक अपने पंजीकरण

की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात ही ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग ले सकेगें। ई–निविदा सह ई–नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान डी0एस0सी0 की वैद्यता बनाये रखने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

8. पंजीकृत आवेदक निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाईन अधिकतम 02 क्षेत्र या 50 हेक्टयर क्षेत्रफल के लिए बिड में भाग ले सकेगे, परन्तु उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग–अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नेष्टमनी एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर प्रदर्शित प्रक्रिया के अनुसार एम0एस0टी0सी0 के पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करनी होगी। किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में पूर्व से 02 (दो) क्षेत्र या कुल 50 हेक्टयर क्षेत्रफल से अधिक के खनन पट्टे धारित होने पर वे बिड में भाग नहीं ले सकेगें। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने के लिए सरकार के पक्ष में रू0 15,000/– (रू0 पन्द्रह हजार) का आवेदन शुल्क, एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से, जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non refundable) होगा।

9. ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को एम0एस0टी0सी0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई–ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध आनलाईन फार्म भरना पड़ेगा जिसके दौरान बिडर्स अपने लिए स्वयं जनित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड बनायेंगे। इस आनलाईन पंजीयन के उपरान्त बिडर्स को एम0एस0टी0सी0 द्वारा भेजी गयी सूचना ई–मेल से प्राप्त होगी, जिसके पश्चात बिडर्स को आवश्यक अभिलेख स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 को ऑनलाईन भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही बिडर्स को वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी0एस0टी0 सहित रू0 2,360/– (रू0 दो हजार तीन सौ साठ मात्र) एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन देय होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात् ही बिडर्स का लॉगिन आई0डी0,पासवर्ड एवं एकाउण्ट एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा। पूर्व में पंजीकृत बिडर्स जिसकी पंजीकरण की अवधि वैध है उन्हें पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा परन्तु नये नियमों के अनुसार आवश्यक अभिलेख तथा हैसियत प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात ही उनका पंजीकरण चालू (Activate) हो पायेगा।

10. पंजीकरण हेतु बिडर्स द्वारा **स्व प्रमाणित** निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा :–

(1) आवेदक के आधार कार्ड की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कम्पनी के मामले में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण–पत्र की प्रति।

(2) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में भागीदारों के अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में प्रबन्ध निदेशक का इस आशय का शपथ पत्र की कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहाँ आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हो।

(3) आवेदक का पैन कार्ड की प्रति, फर्म या कम्पनी के मामले में उसका पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 नं0 की प्रति।

(4) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई–निविदा सह–ई–नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, तथा बैंक का नाम, खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड, तथा एक निरस्त चेक की प्रति।

(5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया न होने का प्रमाण पत्र। जहाँ आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता है वहां इस आशय के शपथ पत्र की प्रति।

(6) स्वयं का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारण्टी जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो।

11. एम0एस0टी0सी0 द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की वेबसाइट से वसूली प्रमाण पत्र एवं 'ब्लैक लिस्ट' की सूची से मिलान करने के उपरान्त केवल उन्ही व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत अर्ह हो। नियम–26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रकिया में भाग नहीं ले सकते हैः–

(1) जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है।

(2) जिसके विरूद्ध खनिज देय बकाया है।

(3) जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया है। शर्त यह है कि उस चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।

(4) जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।

(5) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।

(6) फर्म/कम्पनी के मामले में जिसने पैनकार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो।

(7) जिसने हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारन्टी जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो, प्रस्तुत न की हो।

12. ऑनलाईन ई–निविदा डालने तथा ई–नीलामी बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com पर प्रदर्शित की जायेगी।

13. ई–निविदा सह ई–निलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक–पृथक रू0 15,000/– (रू0 पन्द्रह हजार मात्र) का शुल्क जो अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेष्ट मनी जो विज्ञप्ति में क्षेत्र के नाम के सम्मुख अंकित हो, जमा किया जाना होगा।

14. सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयाने की धनराशि (अर्नेष्ट मनी) यथावत उसी बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी जिस बैंक खाते से पैसा दिया गया था। आवेदक द्वारा पंजीकरण के समय दिये गये बैंक खाते में बदलाव मान्य नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अनुमोदन उपरान्त बैंक खाते का बदलाव किया जा सकता है।

15. जहां किसी भी कारण से ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रकिया पूरी न हो वहां कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात् पुनः ई–निविदा सह ई–नीलामी की जा सकती है।

16. अधिकतम दो खनन पट्टे या 50 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र को उ0प्र0 राज्य में किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में दो खनन पट्टे या 50 हेक्टेयर से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टे निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के दो क्षेत्र या 50 हे0 के खनन पट्टे ही अनुमन्य होंगे। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में दो खनन पट्टे या 50 हेक्टेयर से अधिक के खनन पट्टे हेतु जारी लेटर ऑफ इटेन्ट की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी।

(6) स्वयं का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारण्टी जो वोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो।

11. एम0एस0टी0सी0 द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की वेवसाइट से वसूली प्रमाण पत्र एवं 'ब्लैक लिस्ट' की सूची से मिलान करने के उपरान्त केवल उन्ही व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत अर्ह हो। नियम–26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रकिया में भाग नहीं ले सकते हैः–

(1) जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है।

(2) जिसके विरूद्ध खनिज देय बकाया है।

(3) जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया है। शर्त यह है कि उस चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।

(4) जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।

(5) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।

(6) फर्म/कम्पनी के मामले में जिसने पैनकार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो।

(7) जिसने हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारन्टी जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो, प्रस्तुत न की हो।

12. ऑनलाईन ई–निविदा डालने तथा ई–नीलामी बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com पर प्रदर्शित की जायेगी।

13. ई–निविदा सह ई–निलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक–पृथक रू0 15,000/– (रू0 पन्द्रह हजार मात्र) का शुल्क जो अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेष्ट मनी जो विज्ञप्ति में क्षेत्र के नाम के सम्मुख अंकित हो, जमा किया जाना होगा।

14. सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयाने की धनराशि (अर्नेष्ट मनी) यथावत उसी बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी जिस बैंक खाते से पैसा दिया गया था। आवेदक द्वारा पंजीकरण के समय दिये गये बैंक खाते में बदलाव मान्य नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अनुमोदन उपरान्त बैंक खाते का बदलाव किया जा सकता है।

15. जहां किसी भी कारण से ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रक्रिया पूरी न हो वहां कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात् पुनः ई–निविदा सह ई–नीलामी की जा सकती है।

16. अधिकतम दो खनन पट्टे या 50 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र को उ0प्र0 राज्य में किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में दो खनन पट्टे या 50 हेक्टेयर से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टे निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के दो क्षेत्र या 50 हे0 के खनन पट्टे ही अनुमन्य होंगे। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में दो खनन पट्टे या 50 हेक्टेयर से अधिक के खनन पट्टे हेतु जारी लेटर ऑफ इटेन्ट की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी।

17. **ई निविदा सह ई–नीलामी की प्रकिया :–**

(1) ई निविदा सह ई–नीलामी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई–निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत डाली जायेगी। बिड की दर प्रत्येक उप खनिज के लिए प्रति घन मीटर के लिए दी जायेगी, जो सम्बन्धित उप खनिज के लिए नियमावली, 2021 की अनुसूची–1 में उल्लिखित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी। विज्ञप्ति के अनुसार क्षेत्रवार प्राप्त ई–निविदा को एक साथ न खोलकर पृथक–पृथक खोला जायेगा। प्रत्येक क्षेत्र के प्रथम चरण की ई–निविदा खोलने के तत्काल 02 घण्टे बाद द्वितीय चरण की ई–नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

(2) प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त निम्नानुसार प्रकिया अपनायी जायेगी :–

(क) यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (ऑफर) में प्रति घनमीटर दी गयी दर नियमावली 2021 के प्रथम अनूसूची में उस उप खनिज के लिए निर्धारित रायल्टी दर से 400 प्रतिशत से अधिक है तथा शेष शर्ते पूर्ण करता हो, तो जिलाधिकारी द्वारा उस निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(ख) यदि प्रथम चरण में केवल एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (आफर) में प्रति घन मीटर में दी गयी दर नियमावली, 2021 के प्रथम अनुसूची में उस उप खनिज के लिए निर्धारित रायल्टी दर से अधिक परन्तु 400 प्रतिशत से कम है, तो जिलाधिकारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता, खनिज की गुणवत्ता, उप खनिज का बाजार मूल्य, उस क्षेत्र में खनिज की मांग, क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते हुए स्वविवेक से एकल निविदादाता के पक्ष में लेटर ऑफ इन्टेंट जारी करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय ले सकेगें।

(ग) यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परन्तु पाँच या पाँच से कम बिड प्राप्त होता है तो सभी बिडकर्ता द्वितीय चरण की ई–नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(घ) यदि पाँच से अधिक बिड/आफर प्राप्त होते है तब केवल पाँच सर्वाधिक निविदाकार ही द्वितीय चरण की ई–नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(3) उपरोक्त प्रस्तर–17(2)(ग),(घ) के अनुसार प्रथम चरण के योग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की ई–नीलामी में भाग ले सकते हैं।

(4) द्वितीय चरण में ई–नीलामी की प्रकिया की जायेगी। ई–नीलामी की प्रकिया प्रथम चरण की अग्रसारित प्रकिया होगी, जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम बिड/आफर द्वितीय चरण की ई–नीलामी के लिए न्यूनतम बोली (Floor Price) स्वतः निर्धारित हो जायेगी।

(5) ई–नीलामी की प्रकिया जो ई–निविदा खोलने के तत्काल दो घण्टे बाद प्रारम्भ होगी, में इच्छुक एवं अर्ह व्यक्ति/फर्म/कम्पनी बोली में कई बार भाग ले सकते है। ई–नीलामी की ऑनलाइन प्रक्रिया में स्क्रीन पर अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी, और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑनलाइन ही दिया जा सकता है।

(6) निर्धारित समय के पश्चात् बोली की प्रकिया बन्द हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नहीं दी जा सकती है। बोली के अन्तिम समय में यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो ई–नीलामी की बोली का समय स्वतः 05 मिनट के लिए बढ़ जायेगा। यह प्रकिया तब तक जारी रहेगी जब तक 05 मिनट के अन्तराल में कोई और बोली प्राप्त नहीं होती है।

(7) ई–निविदा सह ई–नीलामी की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी:–

प्रेस विज्ञप्ति (विज्ञप्ति का प्रकाशन)	दिनांक 11 / 11 / 2022
प्री–बिड अर्नेस्ट मनी (ई0 एम0डी0) एवं आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	ई–निविदा डालने से पूर्व एम0एस0टी0सी0 में अपेक्षित अर्नेस्ट मनी(ई0एम0डी0) एवं आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 की वेबसाइट पर वर्णित दिशा–निर्देशों के अनुसार जमा करने की जिम्मेदारी बोलीदाता की है एवं बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लें।
प्रथम चरण में ई–निविदा (ई–टेण्डर) की अवधि	दिनांक 12 / 12 / 2022 को 10:00 बजे से दिनांक 20 / 12 / 2022 को 05:00 बजे तक।
प्रथम चरण में प्राप्त ई–निविदा को खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन	दिनांक 21 / 12 / 2022 को 11:00 बजे क्रमांक–1 पर विज्ञापित क्षेत्र।
द्वितीय चरण की ई–नीलामी की अवधि	दिनांक 21 / 12 / 2022 को 01:00 बजे से 03:00 बजे तक क्रमांक–1 पर विज्ञापित क्षेत्र।

(8) परिणाम की घोषणा एवं उसका प्रदर्शन :–

(क) प्रथम चरण की ई–निविदा प्रक्रिया का परिणाम निविदाकार (Tenderer) के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। प्रथम चरण के निविदा प्रक्रिया के समापन के पश्चात् अधिकतम निविदा धनराशि (बिडिंग एमाउन्ट) प्रदर्शित की जायेगी। सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु वे योग्य है अथवा नहीं को भी लॉगिन कर जान सकते है।

(ख) एकल निविदा के मामलों को छोडकर शेष मामलों में द्वितीय चरण की नीलामी समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त अधिकतम बोली उसके बोलीदाता का विवरण एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

18. <u>पट्टे का दिया जाना :–</u> नियमावली के नियम–28 के प्रावधानों के अनुसार ई–निविदा सह ई–नीलामी के मामले में उस बोली या प्रस्ताव को उपरोक्त प्रस्तर–17(2) में दिये गये प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकार करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा सफल एवं नियमानुसार अर्ह बोलीदाता/निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन कराने के एक सप्ताह के अन्दर लेटर ऑफ इन्टेंट निर्गत किया जायेगा।

19. <u>अभिलेखों का सत्यापन :–</u> ई–नीलामी समाप्त होने के पश्चात 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी, जहाँ क्षेत्र स्थित है, के द्वारा अथवा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय के द्वारा कराना होगा। निदेशक द्वारा मूल अभिलेख के सत्यापन की स्थिति में अभिलेख–सत्यापन की आख्या ई–मेल के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। अभिलेख–सत्यापन के पश्चात् ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र कूटरचित, असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो लेटर आफ इन्टेंट जारी नहीं किया जायेगा तथा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जायेगी।

20. <u>लेटर आफ इन्टेंट में निम्न विवरण होंगे :–</u>

(1) प्रथम वर्ष के लिए देय नीलामी धनराशि की गणना पट्टा क्षेत्र के लिए विज्ञप्ति में आकलित मात्रा घनमीटर को ई–निविदा/ई–नीलामी की दर रुपया प्रति घन मीटर से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षो में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

(2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्बन्धनों और शर्तो का यथोचित पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 20 प्रतिशत <u>दो कार्य</u>

दिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।

(3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्तें एवं अनुवर्ती वर्षो में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली–2021 के पंचम अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी। पूर्व परिहार धारको द्वारा पंचम अनुसूची प्रक्रिया अन्तर्गत धनराशि जमा करने के अनुरोध पर जिलाधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(4) पट्टाधारक नियम–17 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा जिसमें सीमा विन्दुओं का जिओ–कोआर्डिनेटस भी इंगित किया जायेगा तथा नियम–36 के अनुसार सीमा–स्तम्भ लगायेगा और इसका अनुरक्षण करेगा।

(5) चयनित आवेदक नियम–35 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।

(6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम–35 के अनुसार क्षेत्र के भूमि–उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा की जायेगी।

(7) आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) जारी होने के एक माह के भीतर अनुमोदन हेतु देय प्रतिभूति एवं प्रथम किश्त की धनराशि जमा के प्रमाण सहित खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के एक माह के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(8) पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन कराकर खनन संक्रिया तत्काल प्रारम्भ की जानी होगी।

21. **सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति :–**

(1) स्वीकृत पट्टे की अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिए मानी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न होने पर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की मात्रा अनुमन्य होगी। पट्टा क्षेत्र हेतु अनुमन्य मात्रा को प्रथम वर्ष के लिए प्राप्त बोली की दर से गुणा कर प्रथम वर्ष हेतु ई–नीलामी की धनराशि निर्धारित की जायेगी। अनुवर्ती वर्षो में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जायेगी तथा तदनुसार प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षो के लिए पट्टा धनराशि नियमावली–2021 के पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।

(2) लेटर आफ इन्टेंट प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 20 प्रतिशत प्रथम किस्त अर्थात पट्टे के प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित पट्टा धनराशि का 45 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि सम्बन्धित जनपद में विभाग के निर्धारित लेखाशीर्षक में लेटर ऑफ इन्टेंट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर प्री बिड अर्नेस्ट मनी समायोजित करते हुए जमा की जानी होगी। प्री–बिड अर्नेस्ट मनी की धनराशि एम0एस0टी0सी0 द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा ऑनलाइन हस्तान्तरित की जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।

(3) प्रथम वर्ष के लिये शेष 80 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षो के लिए पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम–59 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।

(4) पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0 जिला खनिज फाउन्डेशन (डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

22. **<u>शर्तें :–</u>**

(1) ई निविदा सह–ई नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में <u>आंकलित उपखनिज की मात्रा</u> एवं खनन स्थल के लिए पहुंच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो ले। ई निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2) पट्टाधारक पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र के को–आर्डिनेटस अंकित किया जायेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्बे को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दशायें गये सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक होगा।

(3) पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से तत्काल खनन संक्रियायें प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जानबूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भांति करेगा।

(4) पट्टेदार नियम–36 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे समबन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई–प्रपत्र एम0एम0–11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकाडिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम–67 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकाडिंग को उपलब्ध करायेगा।

(5) पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई–एम0एम0–11 सही विवरण यथा विक्रय मूल्य सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई–एम0एम0–11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हें सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली, 2021 के नियम–60 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।

(6) पट्टेदार 03 मीटर की गहराई अथवा जलस्तर में से जो भी कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें नहीं करेगा।

(7) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।

(8) नदी की जल धारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

(9) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा वहां पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।

(10) यदि पट्टाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने का युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।

(11) मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।

(12) नियमों एवं शर्तो के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।
(13) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगा।
(14) स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुये अन्य शर्ते जो जिलाधिकारी द्वारा उचित समझी जाये, खनन पट्टा विलेख में सम्मिलित की जा सकेगी।

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

पत्रांक व तद्दिनांकः
प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
5. ई—निविदा सह ई—नीलामी का संचालन करने वाली समिति।
6. उपजिलाधिकारी, रावर्ट्सगंज/घोरावल/दुद्धी/ओबरा को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किये जाने हेतु।
7. शाखा प्रबन्धक, एम0एस0टी0सी0 लिमिटेड, लखनऊ।
8. जिला सूचना अधिकारी, सोनभद्र को निःशुल्क प्रचार—प्रसार हेतु।
9. नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी कार्यालय/क्वैरी कार्यालय, सोनभद्र।

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

ANNEXURE -3

प्रेषक,

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
सोनभद्र।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात
निर्धारण प्राधिकरण,
लखनऊ

पत्रांक– 2955/खनिज/2023–24 दिनांक 02/03/2024

विषय– SEIAA की बैठक के मिनट्स संख्या–774 दिनांक 07.11.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि SEIAA की बैठक के मिनट्स संख्या–774 दिनांक 07.11.2023 के बिन्दु संख्या–9 में उल्लिखित क्षेत्र जनपद–सोनभद्र की तहसील ओबरा अन्तर्गत ग्राम–भगवां के आराजी संख्या–15च रकबा–12.146 हे0 के सम्बन्ध में तथ्यात्मक आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद–सोनभद्र के तहसील–ओबरा स्थित ग्राम–भगवां के आराजी संख्या–15च (खण्ड–2) रकबा–12.146 हे0 क्षेत्र पर मोरम का खनन पट्टा हेतु मे0 रूद्र माइनिंग एण्ड कम्पनी पता ग्राम–देवगढ़ पोस्ट–शिवद्वार, घोरावल, द्वारा–श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र राम प्रताप सिंह निवासी देवगढ़, शिवद्वार, पोस्ट–घोरावल, जनपद–सोनभद्र के पक्ष में कार्यालय के पत्र संख्या–4026/खनिज/2023 दिनांक 16.02.2023 द्वारा आशय पत्र निर्गत किया गया है। प्रश्नगत क्षेत्र का निरीक्षण दिनांक 02.03.2024 को संयुक्त रूप से किया गया, जिसमें पाया गया कि:–

1. उक्त क्षेत्र राजस्व अभिलेखों में नदी के नाम दर्ज, राज्य सरकार की भूमि है।
2. उक्त क्षेत्र सोन नदी की डाउन स्ट्रीम के दांयी ओर स्थित है, जिस पर वर्षा काल में नदी द्वारा पहाड़ी क्षरण के फलस्वरूप बहाकर लायी गयी मोरम प्रचुर मात्रा में निक्षेपित है।
3. उक्त स्थल का निरीक्षण करने पर मौके पर जियो–कोआर्डिनेट दिनांक युक्त फोटो ग्राफ लिये गये, जो आख्या के साथ संलग्नक 01 व 02 है।

आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:– यथोपरि।

भवदीय

02/3/2024

(शैलेन्द्र सिंह)
ज्येष्ठ खान अधिकारी,
सोनभद्र।

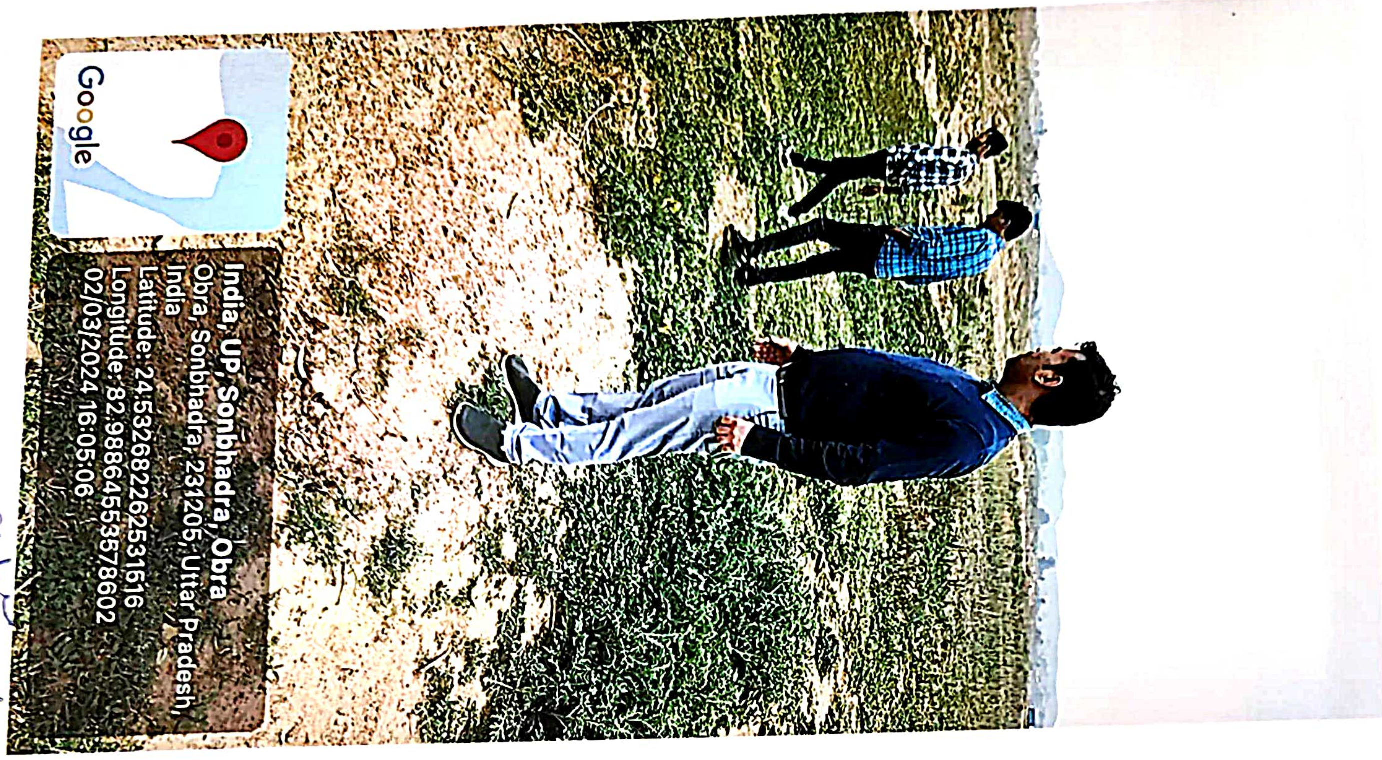

02/03/2024

02/03/2024

02/03/2024

02/03/2024.

02/03/2024

02/3/2024

GPS Map Camera
Google
Bardiya, Uttar Pradesh, India
Bardiya, Uttar Pradesh 231205, India
Lat 24.532718°
Long 82.991458°
27/03/24 09:38 AM GMT +05:30

634

635

GPS Map Camera
Google
Bardiya, Uttar Pradesh, India
Bardiya, Uttar Pradesh 231205, India
Lat 24.532718°
Long 82.991458°
27/03/24 09:38 AM GMT +05:30

GPS Map Camera
Google
Bardiya, Uttar Pradesh, India
Bardiya, Uttar Pradesh 231205, India
Lat 24.53162°
Long 82.991021°
27/03/24 09:46 AM GMT +05:30

GPS Map Camera
Bardiya, Uttar Pradesh, India
Bardiya, Uttar Pradesh 231205, India
Lat 24.532685°
Long 82.991438°
27/03/24 09:38 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Google
Bardiya, Uttar Pradesh, India
Bardiya, Uttar Pradesh 231205, India
Lat 24.53287°
Long 82.988949°
27/03/24 09:58 AM GMT +05:30

GPS Map Camera
Bardiya, Uttar Pradesh, India
Bardiya, Uttar Pradesh 231205, India
Lat 24.53297°
Long 82.989275°
27/03/24 09:56 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Google
Bardiya, Uttar Pradesh, India
Bardiya, Uttar Pradesh 231205, India
Lat 24.532955°
Long 82.989258°
27/03/24 09:56 AM GMT +05:30

GPS Map Camera
Google
Bardiya, Uttar Pradesh, India
Bardiya, Uttar Pradesh 231205, India
Lat 24.531595°
Long 82.991054°
27/03/24 09:45 AM GMT +05:30

643

GPS Map Camera
Bardiya, Uttar Pradesh, India
Bardiya, Uttar Pradesh 231205, India
Lat 24.531915°
Long 82.990546°
27/03/24 09:48 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Google
Bardiya, Uttar Pradesh, India
Bardiya, Uttar Pradesh 231205, India
Lat 24.531587°
Long 82.991049°
27/03/24 09:46 AM GMT +05:30

GPS Map Camera
Google
Bardiya, Uttar Pradesh, India
Bardiya, Uttar Pradesh 231205, India
Lat 24.532937°
Long 82.990118°
27/03/24 09:32 AM GMT +05:30

GPS Map Camera
Bardiya, Uttar Pradesh, India
Bardiya, Uttar Pradesh 231205, India
Lat 24.531842°
Long 82.990212°
27/03/24 09:50 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Google
Bardiya, Uttar Pradesh, India
Bardiya, Uttar Pradesh 231205, India
Lat 24.532873°
Long 82.988965°
27/03/24 09:58 AM GMT +05:30

GPS Map Camera
Bardiya, Uttar Pradesh, India
Bardiya, Uttar Pradesh 231205, India
Lat 24.533136°
Long 82.99025°
27/03/24 09:34 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Bardiya, Uttar Pradesh, India
Bardiya, Uttar Pradesh 231205, India
Lat 24.533137°
Long 82.9903°
27/03/24 09:34 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Bardiya, Uttar Pradesh, India
Bardiya, Uttar Pradesh 231205, India
Lat 24.53297°
Long 82.989275°
27/03/24 09:57 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Bardiya, Uttar Pradesh, India
Bardiya, Uttar Pradesh 231205, India
Lat 24.532895°
Long 82.989233°
27/03/24 09:56 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Bardiya, Uttar Pradesh, India
Bardiya, Uttar Pradesh 231205, India
Lat 24.533056°
Long 82.99019°
27/03/24 09:25 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Bardiya, Uttar Pradesh, India
Bardiya, Uttar Pradesh 231205, India
Lat 24.533136°
Long 82.99025°
27/03/24 09:34 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Bardiya, Uttar Pradesh, India
Bardiya, Uttar Pradesh 231205, India
Lat 24.532938°
Long 82.990125°
27/03/24 09:32 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Google
Bardiya, Uttar Pradesh, India
Bardiya, Uttar Pradesh 231205, India
Lat 24.533153°
Long 82.99031°
27/03/24 09:19 AM GMT +05:30

657
GPS Map Camera
Bardiya, Uttar Pradesh, India
Bardiya, Uttar Pradesh 231205, India
Lat 24.531845°
Long 82.990195°
27/03/24 09:50 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Google
Bardiya, Uttar Pradesh, India
Bardiya, Uttar Pradesh 231205, India
Lat 24.531863°
Long 82.990228°
27/03/24 09:48 AM GMT +05:30

GPS Map Camera
Google
Bardiya, Uttar Pradesh, India
Bardiya, Uttar Pradesh 231205, India
Lat 24.532943°
Long 82.990134°
27/03/24 09:29 AM GMT +05:30